

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय विभाग

प्रति

नि: शुल्क

1. मुख्य, कार्यापालन अधिकारी
जनपद पंचायत जिला
2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद्
जिला

आवेदक का
फोटोग्राफ़

विषय:-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

1. आवेदक का नाम

2. पिता / पति का नाम

3. जाति वर्ग

| |
|--|
| |
|--|

एससी.

एस.टी.

ओबीसी

सामान्य

अल्प संख्यक

4. आवेदक की जन्म तिथि

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

5. आवेदक के समय आयु

| |
|--|
| |
|--|

6. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता

7. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता

8. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई हो तो)

9. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

| क्र. | नाम | संबंध | आयु | व्यवसाय | मासिक आमदानी |
|------|-----|-------|-----|---------|--------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

10. क्या आवेदक को पूर्व से कोई पेंशन प्राप्त हो रही है

11. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण- पोषण हेतु कोई राशि, अनाज / अन्य सहायता / प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ तो कितनी और किस रूप में है ?

.....

12. वर्तमान में जीविका का साधन / वार्षिक आय

13. आवेदक का बचत खाता

| आवेदक/ खाताधारक का नाम | बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम व पता | बचत खाता क्रमांक | IFSC कोड |
|------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| | | | |

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

:: घोषणा पत्र ::

मैं कुमारी/ श्री/श्रीमती पिता/पति

..... निवासी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ /

करती हूँ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरी पेंशन बन्द कर मैंने जो राशि पेंशन के रूप में प्राप्त की है, यह मुझसे शासन द्वारा वसूल की जा सकती है।

14. संलग्न दस्तावेज का विवरण :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

आवेदक के हस्ताक्षर

// सत्यापन //

कार्यालय जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका/ नगर परिषद

.....जिलाम.प्र.

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/ श्री/श्रीमती

पिता/पति निवासी ग्राम/ नगर

तहसील / विकासखण्ड जिला द्वारा

जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद नगर जिला को

प्रस्तुत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था / विधवा/ निःशक्त पेंशन योजना के आवेदक पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक की पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है:-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था / विधवा/ निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति होने के कारण पेंशन स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था / विधवा/ निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

गवाह (नाम एवं हस्ताक्षर)

1.

| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
|-------|-------|-------|

2.

नाम /पदनाम / हस्ताक्षर
जनपद पंचायत / नगर नियम^{.....}
नगर पालिका / नगर परिषद द्वारा अधिकृत
जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
ए.डी.ई.जी./पी.सी.ओ.
ग्राम पंचायत/सेक्टर

इंदिरा गांधी विकलांग / इ. ग. विधवा पेंशन / ई.गा. वृद्धावस्था पेंशन योजना

जाँच प्रतिवेदन

1. योजना का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. जाति वर्ग :- अ.जा. / अ.ज. जा. / अ. पि.व. / अन्य
5. उम्र :-
6. पता :-
7. इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना :-
 अ. 65 वर्ष या अधिक आयु :-
 (उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 ब. बी.पी. एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र)
8. इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना :-
 अ. 40 वर्ष 64 या अधिक आयु :-
 (उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 ब. बी.पी. एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र)
9. इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना :-
 अ. 18 वर्ष 64 या अधिक आयु :-
 (उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 ब. बी.पी.एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र)
10. मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग पेंशन योजना :-
 1. 6 वर्ष से अधिक आयु के हैं (प्रमाण पत्र) :-
 2. बी.पी.एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र)
3. म.प्र. का मूल विवासी
4. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के अनुसार निःशक्त का प्रमाण पत्र
- विशेष :- (पात्र/अपात्र).....

सचिव
ग्राम पंचायत

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
ए.डी.ई.जी./पी.सी.ओ.
ग्राम पंचायत /सेक्टर